

अधिसूचना

पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 09.10.2015 और 16.12.2015 के आदेशों का अनुपालन करते हुए, पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या/2015/6167-6189 दिनांक 20.10.2015, अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या/2015/6345-6372 दिनांक 30.10.2015, अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या/2015/7400-7422 दिनांक 23.12.2015, संशोधित अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या/2015/98-130 दिनांक 05.01.2016 एवं एफ.10(13)/पर्या/2015/436-458 दिनांक 21.01.2016, अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या/2015/1049-1072 दिनांक 15.02.2016, अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या/2015/1610-1632 दिनांक 04.03.2016 और एफ.10(13)/पर्या/2015/2878-2900 दिनांक 26.04.16 के अनुक्रम में और आई.ए. संख्या 71853 और 71856 में रिट याचिका (सी) संख्या 1985 के 13029 के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 28.08.2017 के आदेश का अनुपालन करते हुए, नमक ले जाने वाले वाहन पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) से मुक्त हैं।

स. म. अली

(सै. मु. अली)

विशेष सचिव (पर्यावरण)

फ.स. एफ.10(13)/पर्या0/2015/6407-6429
प्रतिलिपि:-

दिनांक: 22/11/17

1. सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, उप-मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, परिवहन मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, पर्यावरण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, समस्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. आयुक्त, दिल्ली पुलिस।
9. आयुक्त, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
10. प्रधान सचिव (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. प्रधान सचिव (लोक निर्माण विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. प्रधान सचिव, (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
13. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर/पूर्व, दिल्ली नगर निगम।
14. विशेष आयुक्त (यातायात), दिल्ली पुलिस।
15. समस्त सचिव/विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
16. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार।
17. सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार।
18. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश हरियाणा और राजस्थान।
19. चैयरमैन, पर्यावरण नियंत्रण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण।
20. चैयरमैन, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
21. विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, रा.रा.क्ष. दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग-4 में प्रकाशनार्थ हेतु अधिसूचना की पाँच प्रतियाँ हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद सहित।
22. निजी सचिव, सचिव (पर्यावरण विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
23. गार्ड फाईल।

स. म. अली

(सै. मु. अली)

विशेष सचिव (पर्यावरण)